बिहार सरकार,
अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग

आम सूचना।
अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के मामले में यह देखा जा रहा है कि कई ऐसे एजेंसियॉ एवं तथाकथित व्यक्तियों द्वारा इन परिवारों के विद्यार्थियों को मुफ्त में शिक्षा, भोजन एवं आवासन निजी इंजिनियरिंग डिपलोमा कॉलेजों एवं अन्य तकनीकी संस्थानों/कॉलेजों में देने के नाम पर रूपया/पैसा ठगा जा रहा है एवं सभी मूल प्रमाण पत्र (मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक का) लेकर विद्यार्थियों को परेशान किया जा रहा है।

2. यह भी देखा जा रहा है कि कई एजेंसियों द्वारा निजी तकनीकी कॉलेजों/संस्थानों में अक्षम विद्यार्थियों का नामांकन गुमराह करके कर लिया जाता है और विद्यार्थी अपनी अक्षमता के कारण तीन महीने के अन्दर कॉलेज/संस्थान को छोड़कर चले जाते हैं और इनके नामांकन के नाम पर कॉलेज/संस्थानों द्वारा प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति आदि के भुगतान हेतु दावा किया जाता है और सरकार को छात्रवृत्ति आदि के भुगतान करने हेतु मजबूर होना पड़ता है।

3. इस ठगी से अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति के विद्यार्थियों को बचाने के लिए इस वर्ग 2015-16 से सरकार द्वारा यह सुनिश्ति किया गया है कि जो भी विद्यार्थी बिहार कम्बाईंड इंजिनियरिंग कम्पीटिटिव एग्जामिनेशन तथा अन्य सरकारी अथवा सरकार से मान्यता प्राप्त गैर सरकारी तकनीकी भौक्षणिक संस्थानों (जो सरकार द्वारा अनुदानित है) में नामंकन हेतु आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थी को ही प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर तैयार योग्यता सूची के आधार पर विभिन्न तकनीकी कॉलेजों/संस्थानों के संकायों में कौंसलिंग के माध्यम से छात्रों का अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना द्वारा नामांकन कराया जाएगा। बिहार राज्य में अथवा केन्द्रीय स्तर पर आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने वाले आवेदक ही नामांकन के लिए योग्य माने जाएंगे।

4. ऐसे अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति के विद्यार्थियों को आगाह किया जा रहा है कि बिहार के किसी भी जिले में यदि किसी एजेंसी अथवा तथाकथित व्यक्तियों द्वारा किसी तरह का प्रलोभन देकर यदि गुमराह किया जा रहा हो तो उसके खिलाफ तुरन्त नजदीकी थाना में प्राथमिकी दर्ज कराकर उसकी सूचना इस विभाग के सहायता केन्द्र को दूरभाश के माध्यम से अविलम्ब सूचना दें।

5. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में विभाग द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि कंडिका–3 में उल्लेखित नियमों/शर्तों के अनुसार जिन छात्र–छात्राओं का नामांकन वर्ष 2015–16 में नहीं हुआ होगा, वैसे किसी भी छात्रों की छात्रवृत्ति का भुगतान विभाग द्वारा नहीं किया जाएगा और छात्रवृत्ति की राशि का भुगतान उन्हें स्वयं वहन करना होगा।

यह विज्ञापन आम जनता के हित में जारी किया जा रहा है, ताकि ऐसे व्यक्तियों एवं एजेंटों से अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति के विद्यार्थी गुमराह न हों।

(एम0 एम0 राजू)
सरकार के सचिव।
22/5/15